195

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प सागर

1- श्रीमति रश्मि पत्नि लक्ष्मनसिंह ठाकुर
2- श्रीमति प्रियंका पत्नि प्रथमसिंह ठाकुर
दोनों निवासी ग्राम अचलपुर तहसील रहली
जिला सागर म0प्र0

--- आवेदकगण

विरुद्ध

1- अवधेशसिंह उर्फ पप्पू वल्द गंधर्वसिंग ठाकुर
2- बलवीरसिंह वल्द गंधर्वसिंह ठाकुर
दोनों निवासी ग्राम झुवाखेड़ा तहसील रहली
जिला सागर म0प्र0

--- अनावेदकगण

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रहली जिला सागर के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 13अ16अ, वर्ष 2014-2015 में पारित आदेश दिनांक 24-3-2016 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधार एवं तथ्यों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करते हैं :-

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आवेदकगण ने श्रीमान तहसीलदार रहली के समक्ष एक आवेदन ग्राम अचलपुर पटवारी हल्का नंबर 14 तहसील रहली स्थित भूमि खसरा नंबर 5, 15, 18, 35, वा 253 कुल 5 मेड़ कुल रकबा 10-57 हे0 पर खसरा पांच साला के कालम नंबर 12 में कब्जा दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार रहली द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 13अ16अ, वर्ष 2014-2015 पंजीबद्ध किया जाकर बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंचनामा आदेश कर अनावेदकगण का आवेदन

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.20945/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-6-16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री के. एस. निगम उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रहली जिला सागर म0प्र0 के प्र. क्र.13/अ–6अ/वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 24/3/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण की भूमि ग्राम अचलपुर स्थित भूमि खसरा क्र 5 में से रकवा 0.88 हेक्टेयर भूमि आवेदकगण की क्रयशुदा भूमिस्वामी हक की भूमि है तथा वर्तमान में आवेदकगण के नाम पर दर्ज भूमि है एंव आवेदकगण भूमि पर काबिज है। अनावेदकगण द्वारा अपनी भूमि पर खसरा के कॉलम न. 12 पर अपना कब्जा दर्ज किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार रहली के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण की भूमि खसरा क्र 5 का भी लेख किया गया था। तहसीलदार रहली द्वारा कार्यवाही कर अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया किन्तु उनके द्वारा अपने एंव हल्का पटवारी प्रतिवेदन व पंचनामा एंव आदेश में आवेदकगण की भूमि खसरा क्र 5 पर अनावेदकगण का कब्जा होना लेख किया गया जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रहली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी परंतु उनके द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है इस कारण यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1/10/14 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क्रय की थी तथा आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण आदेश दिनांक 30/10/14 को पारित किया गया तथा आवेदकगण क्रय दिनांक से प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। इस कारण हल्का पटवारी	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा अपने प्रतिवेदन एंव तहसीलदार रहली द्वारा अपने स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 27/3/15 में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा होना गलत लेख किया है। उक्त आधार पर उनके द्वारा यह निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया है । 4— आवेदकगण के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों व आदेश पत्रिकाओं का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 5 में से रकवा 0.88 हे. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी थी तथा उनका नाम भी राजस्व अभिलेख में दर्ज है। तहसीलदार रहली की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण को सुनवाई का कोई अवसर तहसीलदार द्वारा प्रदाय नहीं किया गया तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन व पंचनामा भी आवेदकगण की अनुपस्थिति में तैयार किए गए जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत है जिस कारण से तहसीलदार रहली के दिनांक 13/3/15 के परिपालन में प्रस्तुत स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 27/3/15 एंव हल्का पटवारी न. 14 के प्रतिवेदन व पंचनामा दिनांक 26/2/15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है एंव उक्त आधार पर तहसीलदार रहली के आदेश दिनांक 25/4/15 को उपरोक्त अनुसार संशोधित किया जाता है। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण का गुण दोषों पर कोई निराकरण ना करते हुए यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	